



पत्र संख्या / CBD/59/2/- 588

24th July, 2025

ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा डगशई छावनी में स्थित निम्नलिखित दुकान की नीलामी भारत सरकार के पोर्टल gem.gov.in के माध्यम से 05 वर्षों के लिये निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जा रही है :-

क.सं.	दुकान संख्या	आवेदन करने का समय	बोली का समय
1	स्टाल न0 5	दिनांक 24.07.2025 को सांय 5:00 बजे से दिनांक 13.08.2025 तक सांय 5:00 बजे तक	18.08.2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से 19.08.2025 पूर्वाह्न 11 बजे तक

शर्तें

- किसी भी दुकान के लिए आवेदन केवल भारत सरकार के पोर्टल gem.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी माध्यम से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
- इच्छुक व्यक्ति को बोली देने से पहले पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि निम्नलिखित दस्तावेजों सहित दिनांक 13.08.2025 को सांय 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवानी होगी व इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि भारत सरकार के पोर्टल gem.gov.in पर डालनी होगी।

क. आवेदन पत्र

ख. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की प्रतिलिपि

ग. आवेदक के PAN की प्रतिलिपि

घ. आवेदक का GST registration (यदि उपलब्ध हो)।

- पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि की दरें निम्न प्रकार से होंगी

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पंजीकरण शुल्क	धरोहर राशि	न्यूनतम बोली राशि (वार्षिक)
1	स्टाल न0 5	500/-	1000/-रु0	18900/-रुपये

- उपरोक्त पंजीकरण शुल्क व धरोहर राशि आवेदक द्वारा Chief Executive Officer Dagshai payable at Dagshai के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट या ई छावनी के माध्यम से छावनी परिषद कार्यालय में जमा करवानी होगी।

- इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक दुकान के लिए भारत सरकार के ईपोर्टल gem.gov.in पर अलग से आवेदन करना होगा व आवेदन के लिए पंजीकरण शुल्क व धरोहर राशि का भुगतान उपरोक्त कम संख्या 3 में दर्शाए गए टेबल के अनुसार करना होगा।

- दिनांक 14.08.2025 को सभी आवेदनों की छंटनी की जाएगी व हर प्रकार से पूर्ण आवेदन को ही बोली देने की अनुमति होगी, जिसकी सूचना ईपोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी।

बोली द्वारा दी गई लीज की अवधि अधिकतम 05 वर्ष की होगी व सफल बोली दाता को छावनी परिषद् डगशाई को लीज रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान छावनी परिषद् कार्यालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर नकद जमा करवाना होगा। चैक स्वीकार्य नहीं होगा।

8. सफल बोली दाता को बोली की पूरी राशि का 10 वां भाग जमानत के रूप में छावनी परिषद् कार्यालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर नकद राशि या एफ0डी0 के रूप में जमा करवाना होगा। यह जमानत की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक यह लीज समाप्त नहीं हो जाती।

9. अधिकतम बोली अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जायेगी जोकि उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक छावनी परिषद् डगशाई द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता। छावनी परिषद्, डगशाई को यह पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है उस स्थिति में अधिकतम बोली दाता द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

10. अधिकतम बोली दाता को छावनी परिषद्, डगशाई के साथ उपयुक्त कीमत का नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर जोकि उसी ही व्यक्ति को लाना होगा, अनुबन्ध (एग्रीमेंट) करना होगा। यह अनुबन्ध उसे उसकी बोली की स्वीकृति की पुष्टि की सूचना के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर करना होगा।

11. इस सार्वजनिक सूचना पत्र में वर्णित शर्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

12. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त दुकान में अपने हितों को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या अंशतः उप पट्टे $\frac{1}{4}$ Subletting $\frac{1}{2}$ पर देने का हकदार नहीं है चाहे वह उप-पट्टे के रूप में हो या अन्यथा।

13. अधिकतम बोली दाता को दुकान और इसके आस-पास की जगह को साफ और स्वच्छ रखना होगा ताकि यात्रियों और आस-पास के लोगों को कोई असुविधा न हों। उसे छावनी परिषद् के सभी नियमों तथा उप-नियमों का पालन करना होगा तथा उसे सभी प्रकार के करों, लाइसेंस फीस जोकि किसी विधिसंगत प्राधिकार द्वारा लगाए गए हों, की अदायगी करनी होगी।

14. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त दुकान में अद्योहस्ताक्षरी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा।

15. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद्, डगशाई का ऋणी है को बोली देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. मुख्य अधिशासी अधिकारी, डगशाई किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है यदि वह बोली कम समझी जाती है उस स्थिति में बोलीदाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई पूरी राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

17. स्टाल होल्डर को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277 के अन्तर्गत छावनी परिषद् से व्यवसाय से सम्बन्धित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

18. स्टाल होल्डर उक्त स्टाल में वही व्यवसाय कर सकता है जिसका छावनी परिषद् द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा।

19. स्टाल होल्डर को स्टाल के बिजली एवम वाटर रेट के बिल का भुगतान करना होगा।

20. जी. एस. टी. @ 18% अलग से नीलामि राशि के साथ ली जाएगी।

21. स्टाल होल्डर मुख्य अधिशासी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्टाल को 15 दिनों से अधिक समय तक बन्द नहीं रख सकता।

22. छावनी परिषद्, डगशाई स्टाल होल्डर को एक महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबन्ध को रद्द कर सकता है।

23. यदि मुख्य अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि स्टाल होल्डर ने स्टाल को Sublet किया है तो CEO स्टाल होल्डर को नोटिस जारी करेगा जिसके पश्चात Lessee को दस्तावेजों सहित अपनी सफाई में प्रमाण देना होगा ऐसा न करने की अवस्था में छावनी अधिनियम के अन्तर्गत उससे स्टाल खाली करने को लेकर कार्यवाही होगी।

24. Lessee / स्टाल होल्डर को अपने सभी कानूनी वारिसों की सूची छावनी परिषद् कार्यालय में देनी होगी।

5 Lessee / स्टाल होल्डर की मृत्यु होने की दशा में उसके वारिसों को बकाया अनुबन्ध राशि एवं अन्य बकाया राशि का भुगतान छावनी परिषद कार्यालय, डगशाई को करना होगा।

26. उपरोक्त शर्त 24 व 25 की दशा में कानूनी वारिस को छावनी परिषद को स्टाल अपने नाम बाकी अवधि को करने के लिए लिखित में देना होगा जिसकी स्वीकृति बोर्ड से मिलने के पश्चात ही उसे स्टाल अनुबन्ध की बकाया अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। किसी भी दशा में स्टाल का बटवारा नहीं होगा।

27. यदि स्टाल स्वास्थ्य अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ या गन्दा पाया गया दो लगातार निरीक्षणों के दौरान व वर्ष में तीन नोटिस जारी करने के पश्चात तो CEO द्वारा खाद्य वस्तुओं के विक्रय का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

28. (क) यदि बोली दाता बोली देने के पश्चात् बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ख) यदि सफल बोली दाता नीलामी की शर्तों से पीछे हटता है या अपने द्वारा दी गई अधिकतम बोली को किसी भी समय अस्वीकार करता है या दुकान को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमानत की पूरी राशि तथा उस वर्ष के लिए दी गई लीज रेंट की पूरी राशि जब्त कर ली जायेगी।

29. यदि सफल बोली दाता बोली देकर बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो वह भविष्य में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा करवाई जाने वाली किसी भी नीलामी में हिस्सा/भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

30. उपरोक्त नीलामी का संचालन भारत सरकार द्वारा gem.gov.in के लिए तय की गई नियम व शर्तों के अनुसार होगा।

हिमांशु

(हिमांशु सामंत) / (Himanshu Samant)

मुख्य अधिशासी अधिकारी / Chief Executive Officer

छावनी परिषद् दगशाई / Cantonment Board Dagshai

प्रतिलिपि:-

- | | |
|--|---|
| 1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
कसौली / सुबाधू / जतोग। | - सूचनार्थ तथा अपने से सम्बन्धित छावनी क्षेत्र में
मुनादी करवाने हेतु। |
| 2. सचिव, नगरपालिका,
सोलन / नालागढ़ / परवाणु / अर्की | - सूचनार्थ एवं मुनादी करवाने हेतु। |
| 3. स्वास्थ्य निरीक्षक,
छावनी परिषद, डगशाई | - समस्त छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु। |